राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमाक राजपत्रित/सामान्य/प-26/2019/428 दिनाक : 3/9/19

समस्त सयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें, जोन (राज0),
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषय : कार्य सम्पादन/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 1(1)चिस्वा/2/19 दिनांक 07.08.2019

---::---::---

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित आदेश द्वारा आपके अधीन कार्य सम्पादन/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने एवं जिन कार्मिकों को कार्य सम्पादन/प्रतिनियुक्ति पर यथावत रखा जाना है, के प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा साथ ही दिनाक 31.08.2019 तक यह undertaking भी देनी थी कि आपके अधीन कार्य व्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी कार्मिकों को मूल पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध मे तत्काल आवश्यक कार्यवाही कर अविलम्ब निदेशालय को अवगत करवाने का श्रम करे।

सलग्न – सन्दर्भित आदेश दिनाक 07.08.2019

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमाक राजपत्रित/सामान्य/प-26/2019/428 दिनाक 3/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एव प0क0 विभाग, राज. जयपुर।
2 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर।
3 समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एव सलंग्नक चिकित्सालय, संघ राजस्थान।
4 निदेशक (आरसीएच/ईएसआई/एड्स/एमएसयू) मुख्यालय।
5 अति0 निदेशक (प्रशासन/राजपत्रित/आरसीएच/ग्रामीण स्वास्थ्य/चि0प्र0) मुख्यालय।
6 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को आज ही सभी सम्बन्धित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7 रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.1(1)चिस्वा/2/2019 जयपुर, दिनांक : 07.08.19

–: आदेश :–

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि विभाग में पदस्थापित कार्मिको (संविदा कर्मियों सहित) में से काफी संख्या में कार्मिकों को उनके मूल पदस्थापन स्थान से अन्यत्र कार्य व्यवस्थार्थ/प्रतिनियुक्ति पर कार्य संपादन हेतु लगाया हुआ है।

इस प्रकार की व्यवस्था से कुछ चिकित्सा संस्थानो/अस्पतालों में चिकित्सकों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध अधिशेष रूप से अतिरिक्त कार्मिक कार्यरत है, तथा कुछ संस्थानों पर कार्मिकों की कमी बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के आमजन को आवश्यक चिकित्सा सेवायें समय पर नहीं मिल पा रही है। साथ ही महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा चिकित्सा संस्थानों के अंकेक्षण के समय भी स्वीकृत पदों के अतिरिक्त कार्यव्यवस्था/प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों बावत् ऑडिट आक्षेप लिया जाता है। इस स्थिति में सुधार लाने के दृष्टिकोण से सभी चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त पदस्थापित चिकित्सक/कार्मिको (संविदा कार्मिको सहित) को उनके मूल पदस्थापन स्थान पर लगाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः सभी नियंत्रणाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके अधीन कार्य व्यवस्था/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी कार्मिकों को उनके मूल पदस्थापन स्थान के लिए तुरंत कार्यमुक्त कर पालना रिपोर्ट दिनांक 15.08.2019 तक आवश्यक रूप से निदेशक (जन स्वास्थ्य) को भिजवायें। इसके अतिरिक्त नियंत्रणाधिकारी दिनांक 31.08.2019 तक यह Undertaking भी देंगे कि उनके अधीन कार्य व्यवस्थार्थ /प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी कार्मिकों को मूल पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है।

यदि किसी विशेष प्रयोजनार्थ किसी चिकित्सा संस्थान में कार्य संपादन/प्रतिनियुक्ति पर कार्मिक लगाने की नितान्त आवश्यकता हो तो स्पष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए आवश्यक प्रस्ताव संलग्न प्रोफार्मा में निदेशक(जन स्वास्थ्य) एवं अति० निदेशक(प्रशासन) के माध्यम से राज्य सरकार को दिनांक 19.08.2019 तक भिजवाये जा सकेंगे।

संलग्नः प्रपत्र।

07/08/2019
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवंप.क. विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवंप.क. विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय जयपुर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2/3)विभाग, राजस्थानजयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक(जन.स्वा/आरसीएच/ईएसआई/एड्स/एमएसवाई), मुख्यालय जयपुर।
7. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, समस्त मेडिकल कॉलेज एवं संलग्नक चिकित्सालय संघ, राजस्थान
8. अधीक्षक, समस्त संलग्न चिकित्सालय, संघ, राजस्थान
9. अति० निदेशक(प्रशासन/राजपत्रित/आरसीएच/ग्रामीण स्वास्थ्य/चि०प्र०), मुख्यालय।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त प्रमुख चिकित्साअधिकारी, राजस्थान।
13. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही सभी संबंधित को ई–मेल एव विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

क्र. सं.	कर्मचारी / अधिकारी का नाम	पदनाम	मूल पदस्थापन स्थान	प्रतिनियुक्ति / कार्यसंपादन स्थान जहाँ लगाया जाना है।	प्रतिनियुक्ति / कार्यसंपादन पर लगाये जाने के कारण

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक – राजपत्रित / सामान्य / प-26 / 2019 / 398 दिनांक : 13/8/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राज. जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2)विभाग, राज. जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं संलग्नक चिकित्सालय, संघ, राजस्थान।
4. निदेशक(आरसीएच / ईएसआई / एड्स / एमएसयू), मुख्यालय जयपुर।
5. अति0 निदेशक(प्रशासन / राजपत्रित / आरसीएच / ग्रामीण स्वास्थ्य / चि0प्र0), मुख्यालय।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन–राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही सभी संबंधित को ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।